

न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

{समक्ष: दीपक चौधरी}

व्यवहार वाद क्र. 51ए/14ई0दी0

संस्थित दिनांक:-05.07.14

सुजान सिंह पुत्र सरदार सिंह
आयु 73 साल, जाति-यादव
निवासी ग्राम देरासा, तहसील
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....वादी

बनाम

1. जगराम सिंह पुत्र लाखन सिंह,
आयु 30 साल, जाति-यादव
2. उदल सिंह पुत्र लाखन सिंह
आयु 28 साल, जाति-यादव
3. पार्वतीबाई पत्नी लाखन सिंह
आयु 50 साल, जाति-यादव
निवासीगण-ग्राम देरासा, तह0-चंदेरी
जिला-अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान्
कलेक्टर महोदय, जिला-अशोकनगर
(म0प्र0)

.....औपचारिक प्रतिवादी

वादी द्वारा	:	श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण	:	पूर्व से एकपक्षीय।

—: निर्णय :-

{आज दिनांक..... को घोषित}

1— वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ग्राम देरासा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकवा 0.052 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2— संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देरासा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकवा 0.052 हेक्टेयर भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की है। जिसे आगामी पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृत्ति के हैं व ताकत के बल पर वादग्रस्त भूमि अपने स्वत्व की बतलाने लगे हैं व उस पर कब्जा करने को अमादा हो गये हैं। वादी द्वारा मना करने पर भी वह वादग्रस्त भूमि पर मटेरियल एकत्रित कर रहे हैं। दिनांक 10.06.14 को प्रतिवादीगण एक राय होकर आये व वादग्रस्त भूमि पर मटेरियल मिट्टी आदि डालने लगे।

मना करने पर झगडा को अमादा हो गये और बुरी-बुरी गालिया देने लगे व धमकी दी तथा निर्माण का प्रयास करने लगे। वादी ने थाना पिपरई में रिपोर्ट की, किंतु कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उनके हौसले काफी बुलंद हो गये हैं। वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के न्यायालय में भी आवेदन पेश किया, किंतु वहां भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे वादी को विवश होकर यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद ग्राम देरासा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकबा 0.052 हेक्टेयर भूमि की स्वत्व घोषणा व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया।

3— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

4— इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु निम्न है —

1. क्या वादी ग्राम देरासा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकबा 0.052 हेक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है?
2. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है?

// सकारण निष्कर्ष //

// वाद बिन्दु क्रमांक 1 //

5— वादी सुजान सिंह (वा०सा०1) ने आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत शपथ पत्र पर किये कथन में कहा है कि, ग्राम देरासा तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकबा 0.052 हेक्टेयर भूमि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण ने लगभग 9 माह पूर्व वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाने हेतु मटेरियल एकत्रित कर कब्जा करने को अमादा है जिसके संबंध में उसने थाना पिपरई में लिखित आवेदन दिया था।

6— वादी के अधिवक्ता की ओर से व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त जमीन वादी व उसके भाई संग्रामसिंह तथा कपूर सिंह व हनुमंत सिंह ने मिलकर जामोबाई से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। इसके पश्चात उनके मध्य हिस्से बटवारे में वादग्रस्त भूमि वादी को प्राप्त हुयी थी, तथा उक्त भूमि आज भी राजस्व अभिलेख में वादी के नाम अंकित है।

7— वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में वादग्रस्त भूमि का असल विक्रय पत्र दिनांक 08.06.1977 प्रपी-5 पेश किया गया है। प्रपी-5 के क्षतिग्रस्त हालत में होने से वादी

की ओर से प्रपी 5 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की गयी है। प्रपी 5 के विक्रय पत्र के अवलोकन से दर्शित है कि उसके माध्यम से ग्राम देरासा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234 रकवा 0.345 हेक्टेयर भूमि विक्रेता जामोदबाई वेवा देवी सिंह, मानसिंह पुत्र देवी सिंह व लाखन सिंह पुत्र जुगराज सिंह यादव द्वारा क्रेतागण सुजान सिंह, संग्राम सिंह पुत्रगण सरदार सिंह व कपूर सिंह, हनुमंत सिंह पुत्रगण देवीसिंह यादव को विक्रय किया जाना एवं उसका कब्जा सौंपे जाने का उल्लेख है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के खसरा खतौनी वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 1 व प्रपी 2 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी के नाम अंकित होना दर्शित है। साथ ही वादी की ओर से प्रस्तुत थाना प्रभारी पिपरई को दिये गये आवेदन पत्र की प्रति प्रपी 4 के अवलोकन से दर्शित है कि उसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने व वादी को धमकी दिये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार वादी सुजानसिंह (वा०सा०१) के उक्त कथन प्रपी-1 लगायत प्रपी 2 व 4 लगायत 5 के दस्तावेजों से पुष्ट है। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में वादी के उक्त कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित है। जिससे साक्ष्य की विवेचना वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व की होकर उस पर उसका काबिज हो जाना प्रमाणित है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया जा सका है।

8— फलतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य की विवेचना से वाद बिन्दु क्रमांक 1 इस रूप में निष्कर्षित किया जाता है कि वादी ग्राम देरासा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकवा 0.052 हेक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।

9— जहां तक वादग्रस्त भूमि पर के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रश्न है, चूंकि वाद बिंदू क्रमांक 1 के निष्कर्षानुसार वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वाद बिंदू क्रमांक 2 इस रूप में निष्कर्षित किया जाता है कि वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

// सहायता एवं व्यय //

10— इस प्रकार समग्र वाद बिन्दु के निष्कर्ष अनुसार वादी अपना स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वादी का वाद आज्ञप्त किया जाता है। फलतः निम्नानुसार आज्ञप्ति बनायी जाये —

1. यह कि वादी ग्राम देरासा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 234/1/1 रकवा 0.052 हेक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।
2. यह कि प्रतिवादीगण न तो स्वयं और न ही किसी अन्य माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य में बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया के हस्तक्षेप न करें।

3. यह कि प्रतिवादीगण स्वयं अपना एवं वादी का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
4. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो, देय होगा।
तदानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(दीपक चौधरी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चंदेरी
जिला-अशोकनगर (म०प्र०)

(दीपक चौधरी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चंदेरी
जिला-अशोकनगर (म०प्र०)